

12 जुलाई 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य:

1. दुनिया भर में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

1. भारत के ईवी क्षेत्र में भविष्य के निवेश:

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

**राज्यवस्था:**

1. धर्मनिरपेक्ष उपाय:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. जीका वायरस: निगरानी और वेक्टर नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

**आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।**

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

दुनिया भर में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

स्वास्थ्य:

विषय: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: डेंगू के बढ़ते मामले: कारण और उपचार।

**संदर्भ: भारत में डेंगू के मामलों में उछाल**

- डेंगू के मामलों में भारत के दक्षिणी राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

- वर्तमान आँकड़े: 30 अप्रैल तक, भारत में 19,447 मामले और 16 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें केरल और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। कर्नाटक में अब 7,840 मामले और सात मौतें हैं, 10 जुलाई को 293 नए मामले सामने आए।

### वैश्विक डेंगू की स्थिति:

- WHO की रिपोर्ट: 30 अप्रैल, 2024 तक दुनिया भर में 7.6 मिलियन से अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3.4 मिलियन पुष्ट मामले, 16,000 गंभीर मामले और 3,000 से अधिक मौतें शामिल हैं।

### व्यापक प्रसार:

- 90 देशों में डेंगू का सक्रिय प्रसार है। अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि एशिया में वैश्विक बोझ का 70% हिस्सा है।
- उभरते क्षेत्र: डेंगू यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागर और दक्षिण अमेरिका के नए क्षेत्रों में फैल रहा है।

### डेंगू के प्रसार में योगदान देने वाले कारक:

- पर्यावरणीय कारक: मानसून का मौसम एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाता है। शहरीकरण और जनसंख्या की आवाजाही भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- बदलते पैटर्न: एडीज़ एजिप्टी के वितरण में बदलाव, मानवीय गतिविधियाँ, तथा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मौसम पैटर्न के कारण डेंगू महामारी का खतरा बढ़ रहा है।

### डेंगू का संक्रमण और उपचार:

- संक्रमण: डेंगू वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है।
- लक्षण और प्रबंधन: तीव्र ज्वर रोग जिसके लक्षण सिरदर्द, दर्द, चकत्ते और रक्तसावी लक्षण होते हैं।
- उपचार में बिना जटिलताओं वाले लोगों के लिए रोगसूचक और सहायक देखभाल शामिल है।

## तमिलनाडु में ऐतिहासिक और क्षेत्रीय पैटर्न:

- ऐतिहासिक प्रकोप: डेंगू जैसी बीमारी सबसे पहले 1780 में मद्रास में दर्ज की गई थी; इस वायरस को 1945 में अलग किया गया था।
- चक्रीय प्रकोप: तमिलनाडु में हर पाँच साल में डेंगू का प्रकोप होता है, आखिरी बार 2017 में हुआ था।
- वर्तमान स्थिति और प्रतिक्रिया: मौसमी बदलाव और अतिसंवेदनशील आबादी के निर्माण से मामले बढ़ रहे हैं। प्रकोपों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी, तत्काल प्रतिक्रिया और सामुदायिक शिक्षा महत्वपूर्ण हैं।

### सारांश:

- शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और एडीज़ मच्छरों के लिए अनुकूल प्रजनन स्थितियों के कारण दुनिया भर में और भारत में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर प्रकोप ने निगरानी बढ़ाने, तत्काल प्रतिक्रिया और सामुदायिक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारत के ईवी क्षेत्र में भविष्य के निवेश:

अर्थव्यवस्था:

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

मुख्य परीक्षा: ईवी अपनाने में बाधाएं।

विवरण: ईवी नीति का विस्तार करने के लिए सरकार का विचार

- सरकार मार्च में घोषित अपनी ईवी (EV) नीति का विस्तार करने पर विचार कर रही है, जिसका प्रभाव पूर्वव्यापी होगा।
- इस नीति का उद्देश्य वैश्विक खिलाड़ियों को उत्पादन को स्थानीय बनाने और घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- संशोधित नीति उन संस्थाओं को लाभ प्रदान करेगी, जिन्होंने पहले ही निवेश कर दिया है।
- संशोधित नीति की औपचारिक घोषणा अगस्त में होने की उम्मीद है।

### मार्च नीति का फोकस:

- मार्च नीति का उद्देश्य नवीनतम तकनीक तक पहुँच प्रदान करना और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना था।
- इसने उच्च उत्पादन मात्रा, पैमाने की अर्थव्यवस्था और कम उत्पादन लागत प्राप्त करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया।
- न्यूनतम लागत, बीमा और माल दुलाई (CIF) मूल्य \$35,000 के साथ पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) के रूप में EV पर आयात शुल्क 70%-100% से घटाकर 15% कर दिया गया।

### निवेश और हस्तक्षेप की आवश्यकता:

- नीति आयोग ([Niti Aayog](#)) की 2022 की रिपोर्ट में EV के स्वामित्व और रखरखाव के लिए व्यवहार्य अर्थशास्त्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि लागत में तेज गिरावट से ईवी अपनाने में तेजी आएगी।
- भारत को कुछ सेल घटकों के उत्पादन में संरचनात्मक इकाई लागत नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
- बैन एंड कंपनी की इंडिया ईवी रिपोर्ट (2023) ने ईवी ग्राहकों के लिए बिक्री के बाद की सेवा को एक प्रमुख समस्या के रूप में उजागर किया है।
- भारत में \$100 बिलियन से अधिक के ईवी अवसर का एहसास करने के लिए महत्वपूर्ण निवेशक समर्थन की आवश्यकता है।

### प्रतिमान को संबोधित करना:

- ईवी नीति अमेरिका, चीन और यूरोप की प्राथमिकताओं को साझा करती है, जहाँ मामले-दर-मामला आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 2024 के वैश्विक ईवी आउटलुक ने बताया कि इलेक्ट्रिक कारें अभी भी दहन इंजन समकक्षों की तुलना में अधिक महंगी हैं।
- यूरोप और अमेरिका अपनी ई.वी. बैटरी की 20%-30% मांग आयात के माध्यम से पूरी करते हैं, जिससे एकीकृत उत्पादन लाइनों की आवश्यकता पैदा होती है।
- दिनेश अब्रोल के अनुसार, नीतियों को घरेलू स्तर पर मुख्य विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण घटकों के लिए क्षमताएँ बनाने में घरेलू खिलाड़ियों को मजबूत करना प्रगति के लिए आवश्यक है।

**सारांश:**

- भारत सरकार वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने के लिए मार्च में घोषित अपनी ईवी नीति का विस्तार करने की योजना बना रही है। संशोधित नीति का उद्देश्य लागत कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना और घरेलू ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे सतत विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।

**संपादकीय-द हिन्दू**

**संपादकीय:**

**धर्मनिरपेक्ष उपाय:**

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:**

**राज्यवस्था:**

**विषय: भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।**

## मुख्य परीक्षा: व्यक्तिगत कानून बनाम धर्मनिरपेक्ष कानून।

### पृष्ठभूमि और कानूनी संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure (CrPC)) के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष उपाय है।
- 1986 कानून का प्रभाव: मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय (1985) के विपरीत, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दी गई छूट तक ही सीमित प्रतीत होता है।

### मुख्य निर्णय और व्याख्याएँ:

- संविधान पीठ का निर्णय (2001): 1986 के कानून को बरकरार रखा गया, लेकिन इसकी व्याख्या मुस्लिम महिलाओं की धर्मनिरपेक्ष उपचारों तक पहुँच को सीमित न करने के लिए की गई।
- उच्च न्यायालय का मतभेद: विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस बात पर अलग-अलग विचार थे कि मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण के लिए 1986 के अधिनियम या सीआरपीसी की धारा 125 का उपयोग करना चाहिए या नहीं।

### सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय:

- समानांतर प्रावधान: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1986 के अधिनियम के प्रावधान सीआरपीसी के अतिरिक्त हैं, न कि उससे अलग।
- न्यायमूर्ति मसीह की राय: व्यक्तिगत कानून और धर्मनिरपेक्ष उपचार दोनों एक साथ होने चाहिए, यदि महिला अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है तो सीआरपीसी लागू हो और 1986 का अधिनियम पति को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

- न्यायमूर्ति नागरत्ना का दृष्टिकोण: सीआरपीसी का उद्देश्य पति द्वारा सहायता प्रदान करना अनिवार्य करके महिलाओं में स्वछंदता को रोकना है, तथा 1986 का अधिनियम अन्य कानूनी अधिकारों को नकारे बिना इस अधिकार को संहिताबद्ध करता है।

### निहितार्थ और महत्व:

- सौहार्दपूर्ण व्याख्या: यह निर्णय अधिकारों का विस्तार करता है और उपचारों तक पहुँच को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकार बरकरार रहें।
- गलत धारणाओं को बेअसर करना: न्यायालय का निर्णय इस दृष्टिकोण का खंडन करता है कि धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों के तहत मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण मांगने का अधिकार 1986 से समाप्त हो गया था।

### सारांश:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत भी भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके और धर्मनिरपेक्ष कानूनी उपायों को कमजोर किए बिना 1986 के अधिनियम के प्रभाव को स्पष्ट किया जा सके।

### प्रीलिम्स तथ्य:

#### 1. जीका वायरस: निगरानी और वेक्टर नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता

### हाल के मामले और प्रतिक्रियाएँ:

- पुणे, महाराष्ट्र में आठ गर्भवती महिलाओं सहित जीका (Zika) के कम से कम 15 मामले पाए गए।
- कर्नाटक में 74 वर्षीय जीका रोगी की मृत्यु की सूचना दी गई, जिसका कारण अन्य कारक थे।
- दोनों राज्यों ने निगरानी और जन जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं।

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को गर्भवती महिलाओं की जांच करने और वेक्टर नियंत्रण उपायों को बढ़ाने की सलाह दी है।

### संचरण और लक्षण:

- जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलता है, लेकिन यौन संपर्क, रक्त आधान और मां से भ्रूण में भी फैल सकता है।
- यदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनमें दाने, बुखार, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और सिरदर्द शामिल हैं, जो आमतौर पर हल्के और 2-7 दिनों तक चलते हैं।

### निदान और चुनौतियाँ:

- निदान प्रयोगशाला परीक्षणों पर निर्भर करता है, फिर भी भारत में अनुमोदित नैदानिक परीक्षण का अभाव है, जिससे देरी होती है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research (ICMR) ) ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसे लक्षणों के लिए भी जांच बढ़ाने का आग्रह किया है।

### जोखिम और रोकथाम:

- जीका माइक्रोसेफली जैसे गंभीर जन्म दोष पैदा कर सकता है और यह गुइलेन-बैरे सिंड्रोम जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों से जुड़ा हुआ है।
- फिलहाल इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, हालांकि भारत में अनुसंधान और विकास के प्रयास जारी हैं।

### महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

[UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:](#)

**प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (UPSC 2018)**

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद, आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय या हटाया नहीं जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: d**

**व्याख्या:**

- दोनों कथन गलत हैं।

**प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (UPSC 2020)**

1. आधार मेटाडेटा को तीन महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
2. राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकता।
3. बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।
4. भारत की संचित निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1, 2 और 3

**उत्तर: b**

**व्याख्या:**

- केवल कथन 2 और 4 सही हैं।

**प्रश्न 3. धर्म आदि के समूहों पर भेदभाव का निषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:**

- (a) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- (b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (c) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- (d) समानता का अधिकार

**उत्तर: d**

**व्याख्या:**

- धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।

**प्रश्न 4. भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC 2001)**

1. भारत सरकार ने पाँच समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में वैधानिक दर्जा दिया गया था।
3. भारत में सबसे छोटा धार्मिक अल्पसंख्यक पारसी हैं।
4. भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) केवल 1,2 और 4

**उत्तर: c**

**व्याख्या:**

- कथन 2, 3 और 4 सही हैं। जैन भी भारत में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह हैं।

**प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC 2006)**

1. भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
2. भारत का संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: b**

**व्याख्या:**

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात करते हैं।

**UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**

**प्रश्न 1. भूकंप से संबंधित खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता पर चर्चा कीजिए। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में भूकंप के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताओं सहित उदाहरण दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [GS-3, आपदा प्रबंधन] (Discuss the vulnerability of India to earthquake-related hazards. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last three decades. (10 marks, 150 words) [GS-3, Disaster Management])**

**प्रश्न 2. परि-प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [GS-1, भूगोल] (Discuss the geophysical characteristics of the Circum-Pacific Zone. (10 marks, 150 words) [GS-1, Geography])**

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर  की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

